

2012/0008

मिसल नं० 16/2012 (प्रा० पत्र आवंटन निरस्तीकरण) सरकार जयं तहसीलदार लाडपुरा बनाम
रामकरण पुत्र चम्पा कौम जाट निवासी उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-12-19	<p>पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 22.06.1981 से अप्रार्थी रामकरण पुत्र चम्पा जाट निवासी उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा को ग्राम उम्मेदपुरा की ख० नं० 104 की 1 बीघा 11 बिसवा व 105 की 2 बीघा कुल 3 बीघा 11 बिसवा भूमि आवंटित हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने किये जाने से अप्रार्थी को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र दि० 11.06.2011 से प्रस्तुत किया है । पत्रावली के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अप्रार्थी रामकरण जाट की मृत्यु दिनांक 03.04.2007 को होना जाहिर है । इस प्रकार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मृतक आवंटी के कायम मुकामान बनाये बिना ही उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है ।</p> <p>प्रा० पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि० किया जाकर अप्रार्थी आवंटी के कायम मुकामान की सूची चाहने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक: रीडर/14/3182 दि० 09.12.14,849 दि० 27.03.2015,1942 दि० 17.08.2015,2504 दि० 2.11.2015 अ० शा० पत्र क्रमांक 700 दि० 28.03.2016,1673 दि० 01.07.2016,2353 दि० 19.09.2016, से लिखे जाने पर तहसीलदार लाडपुरा के पत्र क्रमांक/मू.अ./16/15286 दि० 03.10.2016 से मृतक के कायम मुकामान की अस्पष्ट सूचना भिजवाई है । जिससे मृतक के कायम मुकामान की तामील नहीं हो पा रही है ।</p> <p>चूंकि आवंटी की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है । जबकि जांच करके मृतक के वारिसान के विरुद्ध प्रा० पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है, मृतक के सभी कायम मुकामान अंकित करते हुए सही पता अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार लाडपुरा को लौटाया जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो</p> <p style="text-align: right;">अति० जिला कलक्टर,, कोटा</p> <p style="text-align: center;">कोटा</p>	